कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला–कोरिया, बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़)
(07836–232721 (कार्या.), 232722(फैक्स), Email ID: Korea.cg@nic.in)

—:: आदेश ::—

क्रमांक / 1585 / एस.डब्ल्यू./ (COVID-19) / 2020 बैकुण्ठपुर, दिनांक 22 / 03 / 2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1564 / एस.डब्ल्यू. / COVID-19/2020 दिनांक 21.03.2020 को संशोधित करते हुये निम्नानुसार विस्तृत आदेश जारी किया जाता है।

WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26 / 2020 / 17–1 दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत तद्संबंध में आदेश प्रसारित किए गए हैं। एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र एफ 1–26 / 2020 / 17–1 दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए **जिला कोरिया के राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत** संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु निम्नलिखित संस्थानों :–

सभी मण्डियां व दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज) मेडिकल स्थापनाऐं एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस ऐजेंसी, बैंकिग सेवाएं (जिनमें एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे) एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाऐं, फायर बिग्रेड, टेलीफोन व इंटरनेट सुविधाएं, होटल एवं रेस्टोरेंट (जिनमें पक्की स्थायी संरचना एवं वैध लायसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा (COVID-19) के संन्दर्भ में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर) मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, डेलीनीड्स व किराना दुकानें, राशन दुकानें, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों, मनरेगा से संबंधित कार्यों को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को आज दिनांक **22.03.2020, रात्रि 9:00 बजे से दिनांक 31 मार्च 2020** या आगामी आदेश जो पहले आये तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया जाता है।

आबकारी संबंधित इकाईयों के सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जावेगा।

आदेश के उल्लंघन किये जाने पर नियम अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।

<u>टीप</u> :– शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26 / 2020 / 17–1 दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत उल्लेख है कि किसी व्यक्ति / संस्था / संगठन द्वारा जारी उक्त पत्रान्तर्गत **कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु** जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

22/3/2020

(डोमन सिंह)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोरिया बैं(कुं०पुर)

Scanned by CamScanner

पृ. क्रमांक /1586/ एस.डब्ल्यू. / (COVID-19) / 2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 22/03/2020

प्रतिलिपि :–

01– अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

02– प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

03– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

04– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य कर विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

05– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

06– आयुक्त (रा0), सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।

07– पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।

08– आयुक्त, आबकारी विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

09– पुलिस अधीक्षक, कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

10– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ

11– अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

12– अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

13– सर्व मुख्य महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल., जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

14– सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

15– अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चिरिमिरी/बैकुण्ठपुर/मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

16– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

17– समस्त तहसीलदार एव नायब तहसीलदार जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

18– सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

19– आयुक्त, नगरपालिक निगम, चिरमिरी की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

20– सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

21– जिला आबकारी अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

22– सर्व कार्यालय प्रमुख जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

23– जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

22/3/2020

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0)

Scanned by CamScanner